नक्शा पास व भू-उपयोग नियमों में होगा संशोधन

आवास विभाग ने बदलाव के लिए गठित की पांच सदस्यीय समिति

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश की जनता को नक्शा पास कराने और भू-उपयोग में बदलाव से संबंधित समस्याओं का समाधान अब आसान होगा। सरकार ने इनके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवास विभाग ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

समिति के सुझावों के आधार पर नियमों में बदलाव किया जाएगा, और इसके बाद संशोधित नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने समिति को सात दिनों का समय दिया है।

अभी तक, शहरों में नक्शा पास कराने और भू-उपयोग से संबंधित मामले उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस के आधार पर निपटाए जाते हैं। हालांकि, पिछले साल लागू नई उपविधि में कुछ खामियां थीं, जिनके कारण ऐसे मामलों के निस्तारण में समस्याएं आ रही थीं। अब इन खामियों को दूर करने के लिए आवास विभाग नियमों में संशोधन करने जा रहा है ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

जनता को और अधिक सहूलियत देने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी

समिति का नेतृत्व करेंगे एलडीए वीसी

आवास विभाग द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष होंगे। इस समिति में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद के मुख्य नगर नियोजक, मुख्य वास्तुविद नियोजक आवास विकास परिषद और निदेशक आवास बंधु को सदस्य बनाया गया है। समिति उपविधि का अध्ययन कर खामियों को चिन्हित करेगी और सुझाव देगी। इसके आधार पर नियमों को और सुगम बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

संभावित बदलाव

समिति के सदस्य यह भी अध्ययन करेंगे कि जनता को अधिक सहूलियत कैसे दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, नक्शा पास करते समय सड़कों की चौड़ाई में छूट दी जा सकती है, साथ ही ग्रीन बेल्ट छोड़ने से जुड़े मानकों में भी बदलाव किया जा सकता है। बड़े भवनों और व्यवसायिक भवनों के निर्माण को लेकर भी नियमों में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को डिजिटल कर बनाया जा रहा सरल

लखनऊ। सरकार ने भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्टांप एवं पंजीकरण विभाग और राजस्व परिषद के संयुक्त प्रयासों से भू-स्वामित्व में नामांतरण की धारा-34 और भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सरल किया जा रहा है। इसके लिए एनआईसी से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है।

इस प्रक्रिया को फरवरी 2026 तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। योगी सरकार की इस पहल से प्रदेश के लाखों किसानों और उद्योगपतियों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से कार्रवाई भी और अधिक पारदर्शी हो सकेगी। भू-संपत्ति हस्तांतरण के दौरान नामों के बदलाव की धारा-34 के तहत नामांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा रहा है।

इसके तहत सभी आवश्यक जानकारियां जैसे- खसरा-खतौनी विवरण, मालिकाना हक के प्रमाण और अन्य अभिलेख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिये एक ही बार में ली जाएंगी। ऑनलाइन अपलोड होते ही डिजिटल डाटा फ्लो के जरिये अभिलेखों की जांच की जाएगी। इससे कई स्तरों पर फॉर्म भरने, दस्तावेज जमा करने और लेखपाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में लगने वाले समय में कमी आएगी। ब्यूरो

लेखपाल की रिपोर्ट लगने में नहीं होगी देरी : कृषि भूमि को गैर-कृषि या औद्योगिक उपयोग में बदलने से संबंधित धारा-80 के अंतर्गत भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसमें पहले आवेदन, अनुमोदन और अभिलेख अपडेट के लिए बार-बार दौड़-भाग करनी पड़ती थी। अब सभी जरूरी जानकारियां जैसे भूमि का खसरा-खतौनी विवरण, मौजूदा उपयोग की स्थिति और आसपास के क्षेत्र की जानकारियां ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एक बार में ही ली जाएंगी। गैरजरूरी औपचारिकताओं को हटाकर डिजिटल जांच की व्यवस्था की गई है, जिससे लेखपाल की तरफ से बार-बार रिपोर्टिंग की जरूरत समाप्त हो जाएगी। विभाग ने आवेदन फॉर्म, रिपोर्ट और प्रमाण के सरल प्रारूप का परीक्षण पूरा कर लिया है।